



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2026

विषय: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ परिसर में 100 कक्ष क्षमता (200 सीटेड) 01 महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि पर मिट्टी भराई के लिए अनुमन्य धनराशि की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सवप/वी.सी./6698, दिनांक 22.05.2026 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ परिसर में 100 कक्ष क्षमता (200 सीटेड) 01 महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि पर जिलाधिकारी, मेरठ की रिपोर्ट के आधार पर 4703.25 घन मी० मिट्टी भराई हेतु अनुमन्य धनराशि ₹0 18.42 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश सं०:22/2026/33/कृषिअ-67-1002(002)/3/2025, दिनांक 05.03.2026 द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ परिसर में 100 कक्ष क्षमता (200 सीटेड) 01 महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी० एस० उ०प्र० जल निगम लि० द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत ₹0 2399.40 लाख के सापेक्ष पी०एफ०ए०डी० द्वारा मूल्यांकित लागत ₹0 2323.56 लाख (जी०एस०टी० सहित) परियोजना हेतु धनराशि ₹0 2323.56 लाख (रूपये तेईस करोड़ तेईस लाख छप्पन हजार मात्र) (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकमुश्त बजट व्यवस्था हेतु प्रावधानित धनराशि ₹0 2500.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ परिसर में 100 कक्ष क्षमता (200 सीटेड) 01 महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा गठित तकनीकी जांच समिति की रिपोर्ट में कार्य स्थल के निरीक्षणोपरांत पर अनुमानित 4703.25 घ०मी० मिट्टी भराई हेतु आंकलित लागत ₹0 18.42 लाख को सम्मिलित करते हुए प्रश्नगत परियोजना हेतु ₹0 2360.40 लाख (रूपये तेईस करोड़ साठ लाख चालीस हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों,

1. प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश सं०:22/2026/33/कृषिअ-67-1002(002)/3/2025, दिनांक 05.03.2026 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संबंधित संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त कर लिया जायेगा प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही विश्वविद्यालय का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई, मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / गिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि मांग करते समय कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी०एस०टी० इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण विश्वविद्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस- 2023 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं०-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के कम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर (रु० 68.23 लाख) की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। इस समिति द्वारा इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त, जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2026/ए 2 आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02.01.2026 द्वारा विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाहय विद्युत संयोजन हेतु रु० 8.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाए।
11. प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट उपलब्ध के आधार पर आंकलित लागत रु० 18.42 लाख अनुमन्य की जा रही है।
12. प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, सबस्टेशन उपकरण, डी०जी० सेट, सोलर सेट, ट्रांसफार्मर की लागत को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करेंगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।
13. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000 दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
 14. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय का होगा।
 15. आगणन का परीक्षण लागत में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 16. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 17. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 19. प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।
 20. परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 21. परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 22. सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

23. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु सेन्टेज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।
24. प्रायोजना की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं विश्वविद्यालय के कुलपति/निर्माण प्रभारी का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
25. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
26. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
27. धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय/संस्था का होगा।
28. धनराशि कोषाकार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
29. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि / चार्जस नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
30. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।
31. अनुदान के देयक, जो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। इस देयक पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
32. सम्बंधित कुलपति/वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना उपकार/शासन को उपलब्ध करायेंगे।
33. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30 प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/ प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, मेरठ/ कोषाधिकारी, मेरठ ।
- (4) वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (5) वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

- (6) प्रबन्ध निदेशक, सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम, लि०, लखनऊ / मेरठ ।
- (7) सचिव, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
- (9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 ।
- (10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।